

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3022/2024

दिनांक : 07.09.2024


श्रीमती शिखा चारण (RJ01335), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 22.07.2024 का एक दिवस का **उपार्जित अवकाश** दिनांक 21.07.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 23.07.2024 से 26.07.2024 तक **04** दिनों का **परावर्तित अवकाश** दिनांक 27.07.2024 से 28.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती चारण की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (उत्तर) उदयपुर/ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, (उत्तर) ने उदयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/88/2020/7093

दिनांक 07.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 3314 दिनांक 31.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती शिखा चारण (RJ01335), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर)।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (उत्तर) उदयपुर।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, (उत्तर) उदयपुर।


सहायक रजिस्ट्रार